कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज

(जिला विधि प्रशाखा)

पत्रांक................../जिला विधि,
[VIII-16/2014-16(Vol-III)]
दिनांक........................2016

फोन नं. :– 06456–222530, 222535 फैक्स नं.
:– 06456–222626, 225480
ई–मेल :– dm-kishanganj.bih@nic.in

प्रेषक::

पंकज दीक्षित, भा.प्र.से.
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

राष्ट्रीय लोक अदालत
09.04.2016 (शनिवार)
व्यवहार न्यायालय परिसर,
किशनगंज।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, किशनगंज।
अपर समाहर्त्ता, किशनगंज।
अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज।
जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज।
अधीक्षक, उत्पाद, किशनगंज।
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज।
वरीय उप समाहर्त्ता, बैंकिंग, किशनगंज।
जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, किशनगंज
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज।
सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, किशनगंज।
जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज।
अग्रणी बैंक पदाधिकारी, किशनगंज।
समन्वयक, यू.बी.जी.बी., किशनगंज।
कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, किशनगंज।
सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई, किशनगंज।
श्रम अधीक्षक, किशनगंज।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जिला।
सभी अंचल अधिकारी, किशनगंज जिला।
लोक अभियोजक/सरकारी वकील, किशनगंज।

विषय :– **किशनगंज जिलान्तर्गत दिनांक 09.04.2016 को आयोजित होने वाली ''राष्ट्रीय लोक अदालत'' (श्रम वाद, पारिवारिक मामले, दीवानी एवं राजस्व) में वादों के निस्तार के संबंध में।**

महाशय,

विषयान्तर्गत विज्ञ अवर न्यायाधीश प्रथम–सह–सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के पत्रांक पत्रांक 480–486, दिनांक 10.03.2016 एवं 501, दिनांक 14.03.2016 द्वारा दिनांक 12.03.2016 के स्थान पर **दिनांक 09.04.2016 (शनिवार) को पूर्वाह्न 10.00 बजे व्यवहार न्यायालय परिसर, किशनगंज** जिला मुख्यालय में **''राष्ट्रीय लोक अदालत''** के आयोजन की सूचना दी गई है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में श्रम वाद, पारिवारिक मामले, दीवानी एवं राजस्व आदि से संबंधित सुलहनीय वादों का निष्पादन किया जाना है। तद्संबंधी सूचना पत्र ज्ञापांक 232/जि.विधि, दिनांक 19.03.2016 द्वारा दी गई है।

उक्त पत्र के आलोक में निष्पादित होने वाले वादों की प्रथम सूची दिनांक 19.03.2016, द्वितीय सूची 28.03.2016 एवं अंतिम सूची दिनांक 05.04.2016 तक **जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज** को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में इसका विस्तृत प्रचार–प्रसार करायेंगे।

अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज कार्यपालक न्यायालयों के सभी पीठासीन पदाधिकारियों एवं जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, पदाभिहित नीलाम पत्र पदाधिकारियों को भी उक्त **''राष्ट्रीय लोक अदालत''** के संबंध में अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करेंगे। **अपर समाहर्त्ता, किशनगंज उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अनुश्रवण भी करेंगे।**

विश्वासभाजन,

ह./–
(पंकज दीक्षित)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता

ज्ञापांक 293 / जि.विधि, किशनगंज दिनांक 01/04/2016.

प्रतिलिपि :– विज्ञ अवर न्यायाधीश प्रथम–सह–सचिव, जेला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज को इंगित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं वृहत प्रचारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला नजारत उप समाहर्त्ता / वरीय उप समाहर्त्ता, जिला गोपनीय प्रशाखा / जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक / अनुमंडल दण्डाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निर्धारित तिथि को बल / दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, आई.टी., किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित एवं जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधितों को सूचना मेल से भी भेजना सुनिश्चित करेंगें।

31/03/16

(पंकज दीक्षित)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।